न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –29 / 2024

अनवान

1. उषा पाण्डेय पुत्री कामेश्वर प्रसाद पाण्डेय, पत्नी कृष्ण कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी मोहना(कुण्डाल), हाल निवासी 7 / 12 भगत सिंह कॉलोनी, गोदाम की तलाई, झालावाड़, जिला झालावाड़, राजस्थान।
2. दिनेश पुत्र कामेश्वर प्रसाद पाण्डेय, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी मोहना(कुण्डाल), हाल निवासी सी–13 तलवण्डी, कोटा, जिला कोटा, राजस्थान।
3. सुरेश पुत्र पुत्र कामेश्वर प्रसाद पाण्डेय, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी मोहना(कुण्डाल), हाल निवासी सुवी आई हॉस्पिटल, सी–13 तलवण्डी, कोटा, जिला कोटा, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजेश पुत्र कामेश्वर प्रसाद पाण्डेय, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी मोहना(कुण्डाल), हाल निवासी सादगी 27 हाउसिंग बोर्ड के पास अनुराधा कॉलोनी, झालावाड़, जिला झालावाड़ राजस्थान।
2. गोपाल नायमा पिता भंवरलाल जी, आयु बालिग, जाति धाकड़, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा।

– प्रतिवादी / विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री आजाद हुसैन अभिभाषक वादी
श्री प्रदीप कुमार बीलू अभिभाषक प्रतिवादी सं0 01
प्रतिवादी सं0 02 एकतरफा
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 17.11.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजीयात जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 32 खसरा संख्या 731 रकबा 2.2600 हैक्टर, आराजी सं. 763 रकबा 3.9700 हैक्टर, आराजी संख्या 764 रकबा 0.0100 गे.मु.आ. चाह कुल किता 03 कुल रकबा 6.2400 हैक्टर स्थित है उपरोक्त सभी आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद है और यह सभी आराजियात पूर्व में सभी पक्षकारों के पिता कामेश्वर पाण्डेय की खातेदारी में दर्ज थी, उनकी मृत्यु के बाद यह आराजीयात हम फरीकेन के खातेदारी से दिनांक 26.10.2023 को दर्ज हुई है और सभी पक्षकारान का उक्त आराजियात में 1 / 4–1 / 4 का हक व हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है इन आराजियात में खसरा संख्या 764 रकबा 0.0100 हेक्टर भूमि गे.मु. चाह दर्ज है जिसमें भी सभी का बराबर हक व हिस्सा दर्ज है। यह आराजियात वर्तमान में इसी कुएं से सिंचित होती है। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी जमीन का बंटवारा किया जाकर रास्ते का अधिकार भी नक्शे में दर्शाया जाये तथा प्रतिवादी संख्या 0[illegible] को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि जब तक मौके पर [illegible] आराजियात में बराबर–बराबर का हक व हिस्से का बंटवारा नहीं [illegible] संख्या 01 व 02 प्रति[illegible]ण के हक व हिस्से की आराजी में कोई अमल दखल हस्त[illegible] नहीं करे और कोट[illegible] व अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kruti Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्से से अधिक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार बिल्लू द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश नहीं कर दावे अनुरूप प्राथमिक डिक्री जारी बंटवारा करने मे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 02 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 03 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं कर वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा इकबाले जवाब देने व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से वाद पत्र 08.10.2024 को स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मध्य ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 32 में खसरा संख्या 731 रकबा 2.2600 हैक्टर, आराजी सं. 763 रकबा 3.9700 हैक्टर, आराजी संख्या 764 रकबा 0.0100 गे.मु.आ. चाह कुल किता 03 कुल रकबा 6.2400 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 06.06.2025 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 32 में खसरा संख्या 731 रकबा 2.2600 हैक्टर, आराजी सं. 763 रकबा 3.9700 हैक्टर, आराजी संख्या 764 रकबा 0.0100 गे.मु.आ. चाह कुल किता 03 कुल रकबा 6.2400 हैक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
	उषा, दिनेश, राजेश, सुरेश पिता कामेश्वर प्रसाद प्रत्येक हिस्सा 1/4 जाति पाण्डे सा. देह खातेदार	731 763 764	2.26 3.97 0.01	11.30 27.79 –
	योग	किता–3	6.24है0	39.09

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	श्री राजेश पुत्र कामेश्वरप्रसाद जाति पाण्डे सा. देह खातेदार	763/1 731/1	0.99 0.56	
	योग	किता–2	1.55	
2.	श्री उषा, दिनेश, राजेश, सुरेश पिता कामेश्वर [illegible] जाति पाण्डे सा. देह खातेदार	764	0.01	–
	योग	किता 01	0.01	
3.	श्री उषा, दिनेश, सुरेश पिता कामेश्वर प्रसाद जाति पाण्डे सा. देह खातेदार	763/2 731/2	2.98 1.70	
	योग	किता–2	4.68	

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested